आवश्यक

संख्या-26/2024/321/2024/12-2-2024

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 07 मार्च, 2024

विषय: प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा "त्वरित मक्का विकास कार्यकम" योजना का संचालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसलों में गेहूँ एवं धान के बाद मक्का तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। वर्तमान में मक्का का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य सामग्री के अतिरिक्त प्रोसेस्ड फूड, पोल्ट्री फीड, एनिमल फीड इत्यादि के रूप में किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन में भी मक्का का उपयोग कर क्रूड ऑयल पर निर्भरता को भी कम किया जा रहा है, जिससे कृषक नगदी फसल के रूप में उत्पादन कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकें।

2 प्रदेश में मक्का के अन्तर्गत फसल सीजनवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत है:-

मक्का फसल सीजनवार विवरण:

वर्ष	फसल	क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	उत्पादन (लाख मै0 टन में)	उत्पादकता (कुं0/है0 में)
2020-21	खरीफ	7.09	16.36	23.07
	रबी	0.16	0.43	26.87
	जायद	0.48	1.38	28.75
2021-22	खरीफ	6.91	14.67	21.23
	रबी	0.09	0.24	26.67
	जायद	0.48	1.30	27.08
2022-23	खरीफ	6.97	14.56	20.89
	रबी	0.10	0.28	28.00
	जायद	0.49	1.42	28.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायद मक्का में सामान्यतः रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता है तथा उत्पादकता भी खरीफ मक्का से अधिक प्राप्त होती है। फलस्वरूप प्रदेश में जायद मक्का की लोकप्रियता कृषकों के मध्य निरन्तर बढ़ रही है।

3. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0) के कोर्स सीरीयल घटक अन्तर्गत मक्का फसल हेतु 13 जनपद चयनित हैं।

4. प्रदेश के कृषकों को मक्का की खेती से अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के उददे्श्य से आच्छादन एवं उपज को अपेक्षित गति प्रदान करने हेतु राज्य के संसाधनों से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। योजनान्तर्गत मक्का के आच्छादन में लगभग 02 लाख हे0 क्षेत्रफल में विस्तार एवं 11 लाख मै0 टन से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश की 01 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्थक सहयोग प्राप्त होगा।

5. योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश में मक्का के वर्षवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का स्तर निम्नवत है:-

क्र0सं0	वर्ष	आच्छादन (लाख हे0 में)	उत्पादन (लाख मै0 टन)	उत्पादकता (कु0 हे0)	अभियुक्ति
1	2023-24 (आधार वर्ष)	8.30	21.16	25.49	अनुमानित
2	2024-25	8.65	22.93	26.51	आंकलित
	2025-26	9.20	25.61	27.84	
	2026-27	9.80	28.92	29.51	
	2027-28	10.50	32.84	31.28	

6. प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन यद्यपि प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रस्तावित है परन्तु योजनान्तर्गत प्रदेश के 13 जनपद- यथा बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फर्रूखाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा व ललितपुर, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0 एम0) के अन्तर्गत मक्का फसल हेतु चयनित हैं, में प्रस्तावित योजना के वह घटक यथा-संकर मक्का प्रदर्शन, संकर मक्का बीज वितरण एवं मेज सेलर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0) योजना में भी अनुमन्य है, को क्रियान्वित नही किया जायेगा।

7. प्रदेश में "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" योजना के संचालन का उददेश्य निम्नवत है:-

(I) प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषकों को जागरूक कर मक्का के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में सतत्/टिकाऊ वृद्धि करते हुए उत्पादन बढ़ाना।

(II) प्रदेश में स्थापित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को कच्चा माल उपलब्ध कराना।

(III) मक्का के प्रोसेस्ड फूड, पोल्ट्री फीड एवं एनीमल फीड हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(IV) किसानों में विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न मक्का प्रसंस्करण इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।

(V) किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना।

8. योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2024-25 से वर्ष 2027-28 तक कुल 04 वर्षो के लिए है।

9. प्रदेश में "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" योजना के संचालन की रणनीति निम्नवत है:-

(I) कम उत्पादकता एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाले जनपदों में ध्यान केन्द्रित करना।

(II) कृषि एवं कृषि संवर्गीय विभागों/संस्थाओं/स्टेक होल्डर्स का सहयोग लेते हुए फसल पद्धति आधारित क्रिया-कलापों का क्रियान्वयन।

(III) भू-जलवायुवीय क्षेत्र के अनुसार योजना बनाना एवं फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्लस्टर एप्रोच का अंगीकरण यथा प्रदर्शनी, मेला, गोष्ठी, एक्सपोजर विजिट इत्यादि के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाना।

(IV) बीज, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), सूक्ष्म तत्व एवं मृदा सुधारक, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम), कृषि निवेश उपभोग में वृद्धि, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कराते हुए उन्नत तकनीकों का प्रसार एवं प्रोत्साहित करना।

(V) कृषि प्रसार अधिकारियों, क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा उत्पादक कृषकों की क्षमतावर्धन करना।

(VI) योजना का प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए लक्षित लाभार्थियों को समय पर कृषि निवेश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

10. "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" योजना में लाभार्थियों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(I) योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की सीमा तक विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों को नियमानुसार लाभान्वित करने हेतु चयन किया जायेगा। योजना में कुल निर्धारित लक्ष्यों में से लघु, सीमान्त तथा महिला कृषकों को चयन में वरीयता दी जायेगी।

(II) योजनान्तर्गत एक लाभार्थी को अधिकतम 02 हे0 की सीमा तक ही अनुदान देय होगा।

(III) जनपद में सक्रिय/क्रियाशील कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्राथमिकता के आधार पर योजना के समस्त घटकों का लाभ प्रदान किया जायेगा।

11. प्रश्नगत योजनान्तर्गत कार्यमद, अनुदान की दरें और आंकलित वार्षिक/ संकलित वित्तीय आवश्यकता तथा योजनावधि (04 वर्ष) हेतु कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यमद/घटक	इकाई	अनुदान दर	वार्षिक लक्ष्य (2024-25)		3 वर्षो (2025-26 से 2027-28 तक) हेतु कुल लक्ष्य	
				भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय
1	उन्नत तकनीकी प्रदर्शन						

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क	देशी मक्का	एकड़	रू0 2,400/ प्रति एकड़	1000	24.00	6000	144.00
ख	संकर मक्का	एकड़	रू0 2,400/- प्रति एकड़	14000	336.00	84000	2016.00
ग	पॉप कार्न मक्का	एकड़	रू0 2,400/- प्रति एकड़	1000	24.00	7500	180.00
घ	बेबी कार्न मक्का	एकड़	रू0 16,000/- प्रति एकड़	2500	400.00	7500	1200.00
ड	स्वीट कार्न मक्का	एकड़	रू0 20,000/- प्रति एकड़	2500	500.00	3750	750.00
	योग (कुल प्रदर्शन)			21000	1284.00	108750	4290.00
2	संकर बीज वितरण	कुं0	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 15000/कुं0 जो भी कम हो	5000	750.00	22500	3375.00
3	(अ) कृषक अध्ययन भ्रमण (5 दिवसीय)	सं0	रू0 1000/- प्रति मानव दिवस	144	7.20	432	21.60
	(ब) राज्य के अन्दर भ्रमण	सं0	रू0 500/- प्रति मानव दिवस	5040	25.20	25680	128.40
4	मेज सेलर	सं0	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 40000/- जो भी कम हो	75	30.00	450	180.00
5	गोष्ठी						

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अ- ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी/किसान पाठशाला	सं0	रू0 5000/- पाठशाला	6510	325.50	24000	1200.00
	ब- विकास खण्ड स्तरीय	सं0	रू0 15000/- गोष्ठी	825	123.75	6600	990.00
	स- जनपद स्तरीय	सं0	रू0 200000/- गोष्ठी	75	150.00	225	450.00
6	राज्य स्तरीय कार्यशाला	सं0	रू0 1000000/- कार्यशाला	01	10.00	03	30.00
7	बैच ड्रायर	सं0	रू0 1500000/- उपकरण	-	-	75	90.00
8	पांपिग मशीन	सं0	रू0 10000/- उपकरण	-	-	375	37.50
योग					2705.65		11602.50
9	प्रशासकीय एवं विविध व्यय		अधिकतम 2.5 प्रतिशत (परियोजना लागत का)		58.24		290.06
कुल योग					2763.89		11892.56

(क्रम सं0 7 पर अंकित बैच ड्रॉयर केवल सक्रिय एफ0पी0ओ0 को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे।)

12. उपरोक्त तालिका के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष हेतु धनराशि रू0 2763.89 लाख की आवश्यकता आंकलित है। इस प्रकार कुल चार वर्षो (2024-25 में रू0 2763.89 लाख तथा 2025-26 से 2027-28 तक कुल तीन वर्षो में रू0 11892.56 लाख) के लिए कुल धनराशि रू0 14656.45 लाख की लागत आंकलित की गयी है। प्रदेश हेतु कुल निर्धारित/स्वीकृत लक्ष्यों की सीमान्तर्गत अन्तर्जनपदीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तन योजनाधिकारी/अपर कृषि निदेशक (गेहूँ एवं मोटा अनाज) की संस्तुति से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त किये जा सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

(I) मक्का एक विविधतापूर्ण फसल है, जिसमें देशी मक्का, संकर मक्का, स्वीट कार्न, बेबी कार्न एवं पॉप कार्न आदि कल्टीवर्स उपलब्ध हैं। देशी एवं संकर मक्का के अतिरिक्त अन्य कल्टीवर्स यथा स्वीटकार्न, बेबी कार्न, पॉपकार्न आदि वर्तमान समय में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं तथा इनसे किसान अधिक लाभ पा सकते हैं।

नवीनतम फसल उत्पादन तकनीकी का व्यवहारिक ज्ञान कृषकों को सुलभ कराने हेतु उनके खेतों पर फसल प्रदर्शनों का आयोजन अति महत्वपूर्ण कार्यमद है। इसके अन्तर्गत फसल उत्पादन तकनीकी के सम्पूर्ण पैकेज का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा।

इन प्रदर्शनों में समस्त संस्तुत नवीन शस्य क्रियाओं को अपनाते हुए नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी में कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रदर्शनों हेतु उन्नतशील प्रजातियों के बीज की आपूर्ति अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।

कृषकों को बीज के साथ जैव उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि कृषि निवेश भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे। फसल प्रदर्शन हेतु एक कृषक को अधिकतम 02 हे0 की सीमा तक ही प्रदर्शन सुविधाएं अनुमन्य होगी। प्रदर्शन हेतु 10-20 एकड़ क्षेत्रफल का एक क्लस्टर बनाया जायेगा। मक्का प्रदर्शन के लिए केन्द्र पुरोनिधानित एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत निर्धारित क्रॉप कैफेटेरिया के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, लाभार्थी कृषकों की सहभागिता तथा सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा। नॉन मानीटरी इनपुट्स यथा-समय से कृषि क्रियाओं का निष्पादन, प्रजातियों का चयन, कृषि तकनीकी, सामयिक बुवाई आदि अपनाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जायेगा।

(II) योजनान्तर्गत मक्का संकर बीज वितरण हेतु बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 15,000/- प्रति कुंतल, जो भी कम हो अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत एक कृषक को अधिकतम 02 हे0 क्षेत्रफल हेतु ही बीज उपलब्ध कराया जायेगा। बीज मूल्य में समसामयिक वृद्धि के अनुसार रू0 15,000/-प्रति कुंतल अनुदान की दरें शासन का अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित कराते हुए प्रभावी की जा सकेंगी।

(III) कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु आत्मा योजनान्तर्गत निर्धारित नार्म्स के अनुसार कृषकों के समूह को 05 दिवसीय अध्ययन भ्रमण (यात्रा अवधि सहित) कराया जायेगा। इस हेतु रू0 1000.00 प्रति मानव दिवस अनुमन्य होगा। इस मद के अन्तर्गत योजना से जुड़े लाभार्थी कृषकों को मक्का से जुड़ी उत्पादन तकनीकी, प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन, विपणन आदि बिन्दुओं पर क्षमतावर्धन अध्ययन भ्रमण कराया जायेगा, जिसके अन्तर्गत निम्न दो प्रकार के अध्ययन भ्रमण कराये जायेंगे:-

(क) प्रत्येक जनपद से एक प्रगतिशील कृषक को मक्का के मॉडल कृषक के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु मक्का बहुल 54 जनपदों से दो-दो मक्का उत्पादक प्रगतिशील कृषक, शेष 21 जनपदों से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एक-एक कृषक तथा 15 अधिकारियों /कर्मचारियों सहित कुल 144 प्रतिभागियों को पांच समूहों में आई0सी0ए0आर0-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना (पंजाब) में पांच दिवसीय भ्रमण/प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) प्रत्येक जनपद के कृषकों को प्रदेश के अन्दर स्थापित शोध/प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले मेले/सम्मेलन/कार्यशाला/प्रदर्शनियों में भी भ्रमण/प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

(IV) मक्का फसल अन्तर्गत कटाई उपरान्त प्रबंधन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट) महत्वपूर्ण चरण है। यह कार्य श्रम साध्य एवं अत्यन्त समय लेने वाला है इसलिए इस कार्य हेतु मशीनीकरण आवश्यक है। कृषि यंत्रीकरण की प्रदेश में संचालित योजनाओं यथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) के अन्तर्गत मक्के की मड़ाई (Maize Shelling) हेतु यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था न होने के कारण इस योजनान्तर्गत मेज सेलर/मेज थ्रेसर की अनुदान सहित व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजनाओं में मेज सेलर/मेज थ्रेसर पर अनुदान की अनुमन्यता प्रारम्भ होने पर इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य व्यवस्था प्रतिबंधित/समाप्त कर दी जायेगी।

मक्का की थ्रेशिंग के लिए मक्का थ्रेशर/मेज सेलर मशीन पर विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 40,000/- जो भी कम हो, अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कृषक उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। कृषकों को इस मशीन के द्वारा मक्का के भुट्टे से दाना निकालने में लागत एवं समय की बचत होगी।

इसके अतिरिक्त मक्के की बुवाई के लिए मल्टी क्रॉप प्लान्टर हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा, इसकी उपलब्धता कृषि विभाग की अन्य योजनाओं से अभिसरण (कन्वर्जेन्स) करते हुए की जायेगी।

(V) योजनान्तर्गत 75 जनपदों में मक्का खेती अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु सघन कार्यक्रम चलाये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश की 6510 ग्राम पंचायतें जो फसल बीमा हेतु मक्का की फसल हेतु अधिसूचित हैं, में किसान गोष्ठी/पाठशाला का आयोजन किया जायेगा तथा आगामी चरणों में इस मद को विस्तारित करते हुए प्रत्येक वर्ष 8000 किसान गोष्ठी/पाठशाला का आयोजन किया जायेगा।

इन किसान गोष्ठियों/पाठशालाओं का आयोजन "किसानों की बात किसानों के साथ" की अवधारणा पर किया जायेगा। इन पाठशालाओं में उन्नत उत्पादन तकनीकी पर विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों से चर्चा के साथ-साथ मक्के की फसल के प्रगतिशील/पुरस्कृत कृषकों को मानदेय देकर उनसे उदबोधन भी कराया जायेगा। प्रत्येक किसान पाठशाला/गोष्ठी आयोजन हेतु रू0 5,000/- का व्यय अनुमन्य होगा। किसान गोष्ठी/पाठशाला का आयोजन यथा सम्भव उस सहंत क्षेत्र में किया जायेगा, जहॉ मक्के के फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया हो। इस प्रकार इन गोष्ठियों/पाठशालाओं को प्रायोगिक स्वरूप प्रदान करते हुए फार्म स्कूल के रूप में संचालित कराया जायगा।

(VI) कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु जनपद के प्रत्येक विकास खण्डों में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषक एवं कृषि विशेषज्ञों के द्वारा मक्का उत्पादन से सबंधित नए तकनीकी जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विकास खण्ड में दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गोष्ठियों का आयोजन आवश्यकतानुसार खरीफ, रबी एवं जायद किसी भी मौसम में किया जा सकेगा, जिसमें प्रति गोष्ठी रू0 15,000/- का प्राविधान योजनान्तर्गत किया गया है।

14. कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु चयनित जनपदों में कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों के द्वारा मक्का उत्पादन से संबंधित नयी तकनीकी जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की धनराशि निर्धारित है। इसका आयोजन किसी भी फसल मौसम में किया जा सकता है।

15. योजनान्तर्गत समस्त हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन राज्य स्तर पर किया जायेगा, जिसमें चयनित जनपदों के प्रसार कार्यकर्ता (अधिकारी/कर्मचारी), कृषकगण, बीज उत्पादक कम्पनियाँ, प्रसंस्करणकर्ता, उद्यमी, वैज्ञानिक, नीति निर्धारक आदि प्रतिभाग करेंगे। इस मद हेतु एक मुश्त धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय किया जायेगा।

16. योजना के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर योजनान्तर्गत कुल प्रस्तावित धनराशि के अधिकतम 2.5 प्रतिशत की सीमा तक प्रशासनिक एवं कन्टीजेन्सी मद हेतु धनराशि का मात्राकरण किया जायेगा तथा इस मद में उपलब्ध धनराशि से राज्य स्तरीय मानव संसाधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक/कन्टीजेंसी मदों पर व्यय वहन किया जायेगा।

राज्य स्तर पर योजना संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से योजित किए जाने वाले मानव संसाधन में कम्प्यूटर आपरेटर 01, योजना सहायक 01 तथा अनुसेवक 01 सम्मिलित होंगे। आउटसोर्सिंग से योजित की जाने वाली इस मानव शक्ति को प्रचलित बाजार दर पर मानदेय अनुमन्य कराया जायेगा।

17. कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किये गये बिक्री केन्द्रों से वितरित किये गये बीज पर ही अनुदान अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/ विभागीय निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। बीज का वितरण विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कृषकों को कराया जायेगा एवं अनुदान का समायोजन कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल (Digital Agriculture Real time Services Hassel free Assistance & New Initiatives-DARSHAN) पर ऑनलाइन बिल बनाकर लाभार्थी कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

18. योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा। मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु पूर्ण-रूप से उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची एवं अन्य विवरण विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन फीड किया जाएगा। लाभार्थियों की सूची व विवरण कृषि विभाग के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा। जनपद स्तर पर लाभार्थी कृषकों का विवरण निर्धारित **प्रारूप-1** पर रखा जायेगा, जिसे आवश्यकता के अनुसार विभाग स्तर से और विस्तृत किया जा सकेगा।

चूंकि कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन एवं आशातीत गुणात्मक प्रगति हेतु टेस्ट चेकिंग आवश्यक है। अतः बीज वितरण, मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन, आयोजन आदि मदों के लाभार्थियों की सूची का संबंधित वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-बी द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतिरिक्त रैण्डम आधार पर विभिन्न स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार सत्यापन किया जायेगा:-

क्र0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	सत्यापन प्रतिशत
1	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए	20
2	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी	15
3	जिला कृषि अधिकारी	10
4	उप कृषि निदेशक	05
5	संयुक्त कृषि निदेशक	02

सत्यापन/टेस्ट चेकिंग की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपदीय/मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा संकलित कर योजनाधिकारी को भेजी जायेगी।

19. योजना की प्रगति अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड की व्यवस्था यथासमय की जायेगी, जिस पर योजना संबंधी भौतिक-वित्तीय प्रगति, लाभार्थियों का विवरण एवं अन्य सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी।

20. योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रभाव का मूल्यांकन राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) अथवा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से कराया जायेगा।

21. "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, क्षेत्र विस्तार एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वांछित संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा।

22. प्रश्नगत कार्यक्रम के संचालन किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, राज्य सरकार की नीतियों का अनुसरण किया जायेगा।

प्रश्नगत कार्यक्रम के संचालन पर आने वाला व्यय-भार संबंधित वित्तीय वर्षा में किये जाने वाले बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्यक्रम का तीसरे वर्ष में मिडटर्म एवैलुएशन/अप्रैजल एवं योजना पूर्ण होने पर योजना का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा जिससे योजना के परिणाम प्राप्त हो सकें।

23. यद्यपि योजना में संकर बीज मिनीकिट वितरण करने का प्राविधान नहीं है, किन्तु अनुदान पर संकर बीज वितरण की व्यवस्था रखी गई है। साथ ही मक्का उत्पादक जिलों की आवश्यकतानुसार एवं किसानों की आंकलित मांग के अनुसार ही उच्च गुणवत्तायुक्त तथा उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का चयन किया जायेगा। विभिन्न शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा सीजनवार चिन्हित प्रजातियों को ही जनपदों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

उत्पादित मक्का के विभिन्न उद्योगों यथा-पोल्ट्री फीड, स्टार्च निर्माण, कैटिल फीड, एथेनॉल उत्पादन आदि में उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इन क्षेत्र के उद्यमियों को भी जोड़ने हेतु अलग से कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26/2024/321/2024/12-2-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः-

1. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ।
2. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1

क्र0सं0	विकास खण्ड	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता एवं मो0 नं0	खसरा नं0	क्षे0 (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।